

प्रेस-नोट दि0-06.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

शातिर अभ्यस्त व सक्रिय गिरोहबन्द अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अभ्यस्त गैंगलीडर व सदस्य के विरुद्ध की गई कार्यवाही-

शातिर गैंगलीडर व सदस्य हत्या का प्रयास करना, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, अवैध शस्त्र रखने जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त है-

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने/कड़ी निगरानी करने हेतु धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों से संबंधित अभियुक्तगणों का गैंग पंजीकरण-

जनपद के थाना जेठवारा में कुल 2 गैंग पंजीकृत किये गये-

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा संगठित गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप/ अपराध कारित किये जाने के परिणामस्वरूप इनके विरुद्ध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के साथ- साथ इनके संगठित गैंगों के आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु इनके गैंगों का पंजीकरण किया गया है, जिसके अनुक्रम में विभिन्न अपराध शीर्षक हत्या का प्रयास करने, लूट एवं चोरी कारित करने, धोखाधड़ी, अवैध शस्त्र रखने जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों/गिरोहों के आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थाना जेठवारा से 02 संगठित गैंगों को पंजीकृत किया गया है। जिनका थानावार विवरण निम्नवत है –

थाना लीलापुर –

गैंगलीडर छोटेलाल पुत्र बेनी माधव निवासी ग्राम पूरनपुर खास थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्य सुनील कुमार यादव उर्फ जज्जे पुत्र रमाशंकर यादव निवासी ग्राम नरायनपु थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, राजेश यादव उर्फ कल्लू पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम भईया की सराय आनादेव थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़, शुभम मिश्रा पुत्र रामभरोस मिश्रा निवासी ग्राम भईया की सराय आनादेव थाना कोतवाली देहात,

प्रतापगढ़ के विरुद्ध लूट का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ – साथ इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

घटना का पूर्व का विवरण-

-गैंगलीडर छोटेलाल उपरोक्त ने अपने साथी सदस्य सुनील कुमार यादव उर्फ जज्जे, राजेश यादव उर्फ कल्लू, शुभम मिश्रा के साथ मिलकर गिरोह बना रखा है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 09.07.2021 को वादी जो सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड में समूह के रूपों की रिकवरी करके जाते समय सराय नहर के पास वादी से लूट के भाग गये। जिसके संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 289/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग को किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

-इसके उपरान्त उक्त गिरोह द्वारा दिनांक 04.12.2024 को साधुरी शिरोमणि विद्यालय धनसारी के पास वादिनी मुकदमा के पति को तमंचा दिखाकर मोटर साइकिल, मोबाइल, पर्स आदि छीन कर भाग गये थे। कुछ समय बाद वादिनी के पति के खाते से कुछ रुपये निकाल लिये थे। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 69/2022 धारा 392,419,420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग को किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

गैंगलीडर छोटेलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 69/2022 धारा 392/411भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 289/2021 धारा 392/411भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 292/2023 धारा 411/419/420/504/406/120बी भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 291/2023 धारा 406/506 भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

सुनील कुमार यादव उर्फ जज्जे उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 69/2022 धारा 392/411भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 289/2021 धारा 392/411भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

राजेश यादव उर्फ कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 69/2022 धारा 392/411भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 289/2021 धारा 392/411भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 107/2023 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़।

शुभम मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 69/2022 धारा 392/411 भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 289/2021 धारा 392/411 भादवि थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ ।

गैंगलीडर विपिन सिंह गहरवार पुत्र भगवत सिंह निवासी ग्राम पर्वतपु थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ व इसके गैंग के अन्य सदस्यगण मुन्ना सरोज उर्फ अमित सरोज पुत्र भगवत सरोज निवासी ग्राम बरियारपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़, शिवम सरोज पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम देवापुर थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध लूट, चोरी, अवैध शस्त्र रखने का गैंग पंजीकृत कर इनके आपराधिक गतिविधियों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही के साथ-साथ इनपर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

गैंगलीडर विपिन सिंह गहरवार अपने साथी मुन्ना सरोज उर्फ अमित सरोज, शिवम सरोज के साथ मिलकर लूट की घटना कारित की थी । जिसके संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 341/2023 धारा 392,411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त अभियोग को कित्ता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

गैंगलीडर विपिन सिंह गहरवार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 970/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 898/2020 धारा 147/148/149/307/323/506 भादिव थाना कोतवाली जनपद प्रतापगढ़

मु0अ0सं0 114/2023 धारा 147/323/392/411/504/506 भादवि 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)5ए एससी/ एसटी एक्ट थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 235/2023 धारा 392,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 241/2023 धारा 392,411 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

मुन्ना सरोज उर्फ अमित सरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 235/2023 धारा 392,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ ।

मु0अ0सं0 241/2023 धारा 392,411 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

शिवम सरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 241/2023 धारा 392,411 भादवि थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ ।

सोशल मीडिया सेल,
प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

अवैध रूप से व्यापार कर रहा 01 पटाखा व्यापारी गिरफ्तार

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा आरोपी अपने मकान के पास भण्डारण करके बेचने के लिए रखे अवैध पटाखा के साथ धर दबोचा

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

चेकिंग के दौरान थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काछी पट्टी कस्बा मानिकपुर में मकान के पास भण्डारण करके बेचने जाने के लिए रखे अवैध पटाखा बरामद

आठ बोरी में लगभग कुल 100 कि०ग्राम अवैध पटाखा बरामद

आने वाले त्यौहार दशहरा, दीपावली त्योहार के लिए पटाखा व फुलझड़ी का भण्डारण करके रखा था अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर के प्रभारी निरीक्षक दीपनारायण मय हमराह व०उ०नि शत्रुघ्न वर्मा, चालक हे०का० संतोष राय, का घनश्याम, का० रोहित यादव, म०का० रितेश राणा* द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान,

प्राप्त सूचना पर दिनांक 05.10.2024 को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काछी पट्टी कस्बा मानिकपुर में मकान के पास बेचने के लिए भण्डारण करके रखा हुआ कुल आठ बोरी में लगभग कुल 100 कि०ग्राम अवैध पटाखा (चार बोरी देशी गड्डा बम कुल 3296 नग, एक बोरी में 450 बडा गड्डा बम, एक बोरी में 3500 छोटा गड्डा बम, एक बोरी में 240 अदद देशी फुलझड़ी लाइट, एक बोरी में 104 पैकेट रेडीमेड छोटा पटाखा (प्रत्येक पैकेट में 10 नग), 50 पटाखा चटाई रेडीमेड प्रत्येक चटाई में 28 नग, पैकेट रेडीमेड अनार बम प्रत्येक पैकेट में 10 नग, 2 पैकेट रेडीमेड रकेट प्रत्येक पैकेट में 10 नग, 20 पैकेट रेडीमेड फुलझड़ी प्रत्येक पैकेट में 10 नग) के साथ 01 अभियुक्त,

मो० शब्बीर पुत्र मो० सफी नि० काछी पट्टी कस्बा मानिकपुर थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त मो० शब्बीर उपरोक्त के कब्जे से आठ बोरी में लगभग कुल 100 कि०ग्राम अवैध पटाखा(चार बोरी देशी गड्डा बम कुल 3296 नग, एक बोरी में 450 बडा गड्डा बम, एक बोरी में 3500 छोटा गड्डा बम, एक बोरी में 240 अदद देशी फुलझडी लाइट, एक बोरी में 104 पैकेट रेडीमेड छोटा पटाखा (प्रत्येक पैकेट में 10 नग), 50 पटाखा चटाई रेडीमेड प्रत्येक चटाई में 28 नग, पैकेट रेडीमेड अनार बम प्रत्येक पैकेट में 10 नग, 2 पैकेट रेडीमेड रकेट प्रत्येक पैकेट में 10 नग, 20 पैकेट रेडीमेड फुलझडी प्रत्येक पैकेट में 10 नग) बरामद हुआ है । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 207/24 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम मो० शब्बीर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि यह आतिशबाजी का सामान मेरा नहीं है । यह पटाखा हवाईदार फिरोज निवासी बभनपुर का है । जिसे मैं अपने मकान में रखता हूँ । उसको ले जाकर बाजार में दुकानों पर बेचता हूँ । निकट भविष्य में दशहरा व दीपावली आने वाले त्यौहार पर बेचने के लिये मकान के सामने यहीं पर इकट्ठा कर रखा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो० शब्बीर पुत्र मो० सफी नि० काछी पट्टी कस्बा मानिकपुर थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष ।

गिरफ्तार करने पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक दीपनारायण मय हमराह व०उ०नि शत्रुघ्न वर्मा, चालक हे०का० संतोष राय, का घनश्याम, का० रोहित यादव, म०का० रितेश राणा थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा 03 व्यक्तियों से रास्ते में धमकी / गाली गलौज, पैसे/सामान छीनकर भाग जाने के प्रकरण में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कादीपुर पुल के पास से 02 अभियुक्तगणों को अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस, छिनैती का 01 अदद रेडमी मोबाइल व 01 अदद टीवीएस राइडर मोटर साइकिल के साथ किये गये गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.08.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत निवासी ग्राम खर्जुनी वादी व उसके साथी से आरोपीगणों द्वारा रास्ते में धमकी / गाली गलौज कर पैसे/सामान छीनकर भाग जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 491/24 धारा 309(4), 351(2),352 बीएनएस बनाम 04 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में दिनांक 05.10.2024 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 वरूण कुमार सिंह मय हमराह का0 विमल कुमार, का0 अनिकेत दिनकर, का0 मलखान, का0 मिथलेश द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 491/24 धारा 309(4), 351(2),352 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तगणों 1- राहुल उपाध्याय पुत्र मुन्ना उर्फ योगेन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम जमुनापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 2. पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय निवासी ग्राम थाहीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कादीपुर पुल के पास से अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस व छिनैती का 01 अदद रेडमी मोबाइल व 01 अदद टीवीएस राइडर मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गयी।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों व दो अन्य साथी नीरज तिवारी व सागर सिंह के साथ मिलकर प्रतापगढ़ शहर से मेला देखकर जाते समय गांव खर्जुनी के तीन व्यक्तियों से मोबाइल,पैसे व अन्य सामान छीनकर भाग गये थे । छीने हुए सामान को नीरज तिवारी को दिया था जिसके द्वारा सामान बेच दिया गया था सामान बेचकर मिले पैसे हम लोगों द्वारा खर्च हो गये है । आज हम लोग चोरी की घटना करने जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

- 1- राहुल उपाध्याय पुत्र मुन्ना उर्फ योगेन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम जमुनापुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2- पवन पाण्डेय पुत्र सतीश पाण्डेय निवासी ग्राम थाहीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

- 1- अवैध 01 तमचा 315 बोर व 01 अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस ।
- 2- छिनैती का 01 अदद रेडमी मोबाइल ।
- 3- 01 अदद टीवीएस राइडर अदद मोटर साइकिल ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 विमल कुमार, का0 अनिकेत दिनकर, का0 मलखान, का0 मिथलेश थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मन्नान की मजार के पास बाग से 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 28.08.2024 को आरोपीगणों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पशु तस्करी करते हुए 07 अदद गोवंश व 01 अदद पिकअप, नशा के इंजेक्शन दवा आदि बरामद किया गया था । इस संबंध में बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, का0 प्रेमवीर सिंह द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त 1- कैफ अहमद पुत्र लईक निवासी मन्नान की बाजार, बरई थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़, 2- दानिश उर्फ हैदर अली पुत्र

जफर खां निवासी मतरमपुर, तिवारीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 06.10.2024 को थानाक्षेत्र कुण्डा के मन्नान की मजार के पास बाग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- कैफ अहमद पुत्र लईक निवासी मन्नान की बाजार, बरई थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 2- दानिश उर्फ हैदर अली पुत्र जफर खां निवासी मतरमपुर, तिवारीपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का0 उमाशंकर भारती, का0 प्रेमवीर सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

लूट, हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी देना, गाली-गलौज व छेड़खानी करने से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत लोशनापुर ग्राउण्ड के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.10.2024 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत सिया डीह में वादी के परिजनों पर एक राय होकर लूट, हत्या करने का प्रयास, मारपीट, धमकी देना, गाली-गलौज व छेड़खानी करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-328/24 धारा-191(2), 191(3), 190, 109, 110, 115(2), 333, 76, 324(4), 324(5) बी0एन0एस0 थाना बाघराय, प्रतापगढ़ बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराह का0

कृष्णकांत राय,म0का0 मोनी मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर, दिनांक 06.10.2024 को मु0अ0सं0-328/24 धारा-191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 333, 76, 324(4), 324(5) बी0एन0एस0 थाना बाघराय, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सतीश चन्द्र पुत्र मनीराम सरोज निवासी ग्राम सिया डीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र बाघराय के लोशनापुर ग्राउण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

सतीश चन्द्र पुत्र मनीराम सरोज निवासी ग्राम सिया डीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराह का0 कृष्णकांत राय,म0 का0 मोनी मिश्रा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 06.10.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अभियान के तहत 15 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात से 01, थाना अन्तू से 02, थाना मान्धात से 01, थाना पट्टी से 02, थाना कन्धई से 03, थाना साँगीपुर से 01, थाना लीलापुर से 02, थाना जेठवारा से 01, थाना हथिगवां से 02, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 15 वारण्टी गिरफ्तार

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रयागराज एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) तथा समस्त क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है । अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना कोतवाली देहात से 02, थाना अन्तू से 01, थाना पट्टी से 01, थाना जेठवारा से 01, थाना लालगंज से 01, थाना संग्रामगढ़ से 03, इस प्रकार जनपद पुलिस द्वारा कुल 09 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।

वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का थानावार विवरण-

थाना कोतवाली देहात से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री कौशलपति मय हमराह द्वारा सम्बन्धित परिवाद संख्या 10505/21 अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट थाना कोतवाली देहात से संबंधित 0 नफर वारण्टी-

1- कृष्णकान्त पाण्डेय पुत्र राजमणि पाण्डेय निवासी बडनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री राकेश चौरसिया द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 15/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अन्तू से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1- मु० रईश पुत्र मु० सुलेमान निवासी कुशलगढ़ थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

उ०नि० श्री अंकित सिंहग द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 2605/20 धारा 304ए भादवि थाना अन्तू से संबंधित 01 नफर वारण्टी-

1-बृजेश कुमार पुत्र जगनारायण निवासी महुआये थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री प्रभात वर्मा मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 22/18 धारा 147 बीएनएसएस थाना मान्धाता से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

1-अ० हकीम खाँ पुत्र हाकीम अली निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री एहसानुल हक खाँ व म०उ०नि० ज्योति सविता मय हमराह द्वारा सम्बन्धित अ०सं० 138/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 325, 308, 352, 504, 506 भादवि थाना पट्टी से सम्बन्धित 02 वारण्टी-

1-हीरालाल यादव पुत्र भगौती देवी

2-अमरदीप यादव पुत्र भोलानाथ यादव निवासीगण ग्राम जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई से 03 वारण्टी गिरफ्तार-

उ०नि० श्री दिनेश सिंह, उ०नि० प्रशिक्षु पवन यादव मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु०नं० 9772/09 धारा 147, 353, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कन्धई से सम्बन्धित 03 वारण्टी-

1-चिथरू सिंह उर्फ सुबेदार सिंह पुत्र सालिक राम

2-मेजर सिंह पुत्र अमरपाल सिंह

3-के०वी० सिंह पुत्र बुद्धिराम सिंह निवासीगण लक्ष्मणपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना साँगीपुर से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री मुसाफिर यादव मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 2005/16 व मु0नं0 2749/13 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना साँगीपुर से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

1-हर्षबहादुर वर्मा पुत्र जगतपाल वर्मा निवासी ग्राम रजवट थाना साँगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री रामनरेश मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 1849/20 धारा 323, 504, 426 भादवि थाना लीलापुर से सम्बन्धित 02 वारण्टी-

1-भोला पुत्र शिवमंगल वर्मा निवासी ओरी का पुरवा सगरा सुन्दर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2-शिवबालक पुत्र रामअधार वर्मा निवासी ओरी का पुरवा सगरा सुन्दर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा से 01 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 2269/2001 धारा 379, 411 भादवि थाना जेठवारा से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

1-अनिल कुमार उपाध्याय पुत्र राजनारायण उपाध्याय निवासी ग्राम खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना हथिगवां से 02 वारण्टी गिरफ्तार-

उ0नि0 श्री श्यामबिहारी सिंह मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 6920/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

1-विजयराज पुत्र रामसनेही त्रिपाठी निवासी कदमपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराह द्वारा सम्बन्धित मु0नं0 7178/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां से सम्बन्धित 01 वारण्टी-

1-मो0 अकील पुत्र मो0 हारून निवासी बछेन्दामऊ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

कुल वारण्टी /गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1- कृष्णकान्त पाण्डेय पुत्र राजमणि पाण्डेय निवासी बडनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0 रईश पुत्र मु0 सुलेमान निवासी कुशलगढ़ थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

3-बृजेश कुमार पुत्र जगनारायण निवासी महुआये थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

4-अ0 हकीम खाँ पुत्र हाकीम अली निवासी ग्राम शिवरा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

- 5-हीरालाल यादव पुत्र भगौती देवी
- 6-अमरदीप यादव पुत्र भोलानाथ यादव निवासीगण ग्राम जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
- 7-चिथरू सिंह उर्फ सुबेदार सिंह पुत्र सालिक राम
- 8-मेजर सिंह पुत्र अमरपाल सिंह
- 9-के0वी0 सिंह पुत्र बुद्धिराम सिंह निवासीगण लक्ष्मणपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।
- 10-हर्षबहादुर वर्मा पुत्र जगतपाल वर्मा निवासी ग्राम रजवट थाना साँगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 11-भोला पुत्र शिवमंगल वर्मा निवासी ओरी का पुरवा सगरा सुन्दर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 12-शिवबालक पुत्र रामअधार वर्मा निवासी ओरी का पुरवा सगरा सुन्दर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 13-अनिल कुमार उपाध्याय पुत्र राजनारायण उपाध्याय निवासी ग्राम खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 14-विजयराज पुत्र रामसनेही त्रिपाठी निवासी कदमपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।
- 15-मो0 अकील पुत्र मो0 हारून निवासी बछेन्दामऊ थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

नाबालिक से दुष्कर्म व एससी एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मकूनी फाटक शकरदहा के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत वादिनी की पुत्री के साथ छेडखानी/ दुष्कर्म करने के संबंध में थाना बाघराय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अन्तर्गत धारा 65, 115(2),352,351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम 01 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी श्री सदर अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह कां0 संदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 06.10.2024 को अन्तर्गत धारा 65, 115(2),352,351(3) बीएनएस व 3 /4(2) पॉक्सो एक्ट थाना

बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त करन सरोज पुत्र सुरेश सरोज निवासी गोगौर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत मकूनी फाटक शकरदहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

करन सरोज पुत्र सुरेश सरोज निवासी गोगौर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह कां0 संदीप कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत हत्या का प्रयास, धमकी व मारपीट से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत विश्वनाथगंज बाजार के शनिदेवधाम मोड से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत वादी के साथ मारपीट करने, धमकी देने व हत्या का प्रयास करने के संबंध में थाना देल्हूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0 120/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बी0एन0एस0 बनाम 01 नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी देल्हूपुर धनन्जय राय के नेतृत्व में उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह हे0का0 अनीश कुमार, का0 अनीश गुप्ता, का0 विनय पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त भाष्कर मिश्रा पुत्र राजेश कुमार मिश्रा निवासी ग्राम सहेरुआ थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत विश्वनाथगंज बाजार के शनिदेवधाम मोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

भाष्कर मिश्रा पुत्र राजेश कुमार मिश्रा निवासी ग्राम सहेरुआ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह हे0का0 अनीश कुमार, का0 अनीश गुप्ता, का0 विनय पटेल थाना देल्हूपुर,
जनपद प्रतापगढ ।